

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 1 जनवरी 2019—पौष 11, 1940

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 1 जनवरी 2019 (पौष 11, 1940)

क्र. 15-म.प्र.वि.स.-15-विधान-19.—राज्यपाल महोदया का निम्नलिखित आदेश दिनांक 1 जनवरी, 2019 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

“संविधान के अनुच्छेद 179 के परन्तुक के अधीन अध्यक्ष का पद रिक्त है तथा उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है.

अतः, मैं, आनंदीबेन पटेल, मध्यप्रदेश की राज्यपाल, संविधान के अनुच्छेद 180 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री दीपक सक्सेना, सदस्य विधान सभा को, अध्यक्ष के निर्वाचन पर्यन्त अध्यक्ष पद के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु नियुक्त करती हूँ.

आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल.”

भोपाल :
दिनांक 1 जनवरी 2019

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.